फॉस्टर केयर एक साझा प्रयास

हित धारकों के लिए पॉकेट डायरी

बिहार सरकार

राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार

सुरक्षित बचपन-विकसित समाज

unicef

Centre of Excellence In Alternative Care (India)

संदेश –1 (SCPS)

संदेश —2 (UNICEF)

विषय सूची

Page: 01 संकेताक्षर सूची

Page: 02 पालन पोषण देखरेख (फॉस्टर केयर) क्या है?

Page: 04 किन बच्चों को फॉस्टर केयर में रखा जा सकता है ?

Page: 05 पालक माता पिता बनाने की पात्रता क्या है ?

Page: 07 पालक देख रेख (फॉस्टर केयर) की प्रक्रिया

Page: 09 पालक देख रेख (फॉस्टर केयर) में विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ

Page: 21 पालनपोषण देख रेख (फॉस्टर केयर) और दत्तक ग्रहण (एडॉप्शन) के बीच अंतर

Page: 22 संपर्क विवरण (समस्त सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बिहार)

Page: 26 कुछ अन्य महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र

संकेताक्षर सूची

एडीसीपी	सहायक निदेशक बाल संरक्षण
सीईएसी	सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन अलटरनेटिव केयर
सीसीआई	बाल देखरेख संस्थान
सीडब्ल्यूसी	बाल कल्याण समिति
डीसीपीओ	जिला बाल संरक्षण अधिकारी
डीसीपीयू	जिला बाल संरक्षण इकाई
डीएम	जिला मजिस्ट्रेट
एचआईवी	मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु
आईसीपीएस	समेकित बाल संरक्षण योजना
आईईसी	सूचना शिक्षण संचार सामग्री
जेजे एक्ट	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम
एनपीएसी	बच्चों के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना
एनसीपीसीआर	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
पीएफसी	भावी फोस्टर देखभाल कर्ता
पीओ–आईसी	संरक्षण अधिकारी–संस्थागत देखभाल
पीओ–एनआईसी	संरक्षण अधिकारी–गैर संस्थागत देखभाल
एससीपीएस.	राज्य बाल संरक्षण समिति
एसएफसीएसी	प्रायोजन और पालक देखभाल अनुमोदन समिति
टीबी	यक्ष्मा तपेदिक
यूएनसीआरसी	बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
यूएनजीएसीसी	बच्चों के लिए वैकल्पिक देखभाल पर संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देश
यूनिसेफ	संयुक्त राष्ट्र बाल कोष

पालन पोषण देख रेख (फॉस्टर केयर) क्या है?

पालन पोषण देख रेख (फॉस्टर केयर) भारत में एक नई अवधारणा नहीं है। यह लंबे समय से विभिन्न रूपों में अपनायी गई एक व्यवस्था है। यह बच्चों के लिए संस्थागत देखभाल के विकल्प के तौर पर की जाने वाली व्यवस्था है। पालन पोषण देख रेख एक ऐसे बच्चे को पारिवारिक जीवन प्रदान करने का एक तरीका है जो अपने जैविक माता–पिता या रिश्तेदार के साथ रहने में असमर्थ है। भारत में पालन पोषण देख रेख (फॉस्टर केयर) का संचालन करने वाले तीन प्रमुख कानूनी उपकरण निम्न हैं :

1. किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

2. फोस्टर केयर के लिए मॉडल दिशानिर्देश, 2016

3. बिहार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियमावली, 2017

उपरोक्त तीनो टूल्स के साथ–साथ फॉस्टर केयर के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं में संदर्भ हेतु एनसीपीआर द्वारा विकसित फॉस्टर केयर पर यूजर गाइड, 2018 का प्रयोग भी किया जा सकता है ।

परिभाषायें

कशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अन्तर्गत पोषक देख–रेख एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत बच्चों को जैविक परिवार के अतिरिक्त, परिवार के घरेलू व्यवस्था में वैकल्पिक देखभाल प्रदान करने के लिए चयनित, योग्य, अनुमोदित और निगरानी किये गए परिवार में रखा जाता है।

किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

धारा 44 के अनुसार एक बच्चे को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के आदेश के माध्यम से एक बच्चे को पालक देखभाल में रखा जा सकता है, एक ऐसे परिवार में जो बच्चे से असंबंधित हो और उसे कम या विस्तारित अवधि के लिए बच्चे की देखभाल करने के लिए उपयुक्त और सक्षम माना जाता है।

बिहार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियमावली, 2017

(i) नियम 23 – पालक देखभाल कार्यक्रम को लागू करने के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) अपने – अपने जिले में नोडल प्राधिकरण होगी।

(ii) नियम 44 – बालक जो दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किये जाने के बाद दत्तक ग्रहण नहीं किये गए हैं, पोषण देखरेख के लिए पात्र होंगे

(iii) नियम 83 – पालन पोषण संबंधी देखभाल करने के लिए सहयोग प्रदान करता है

(iv) नियम 84 – पालक पोषण देखभाल के लिए कार्यक्रम विकसित करने के लिए राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी (एसपीसीएस) की भूमिका को परिभाषित करता है।

(v) नियम 85 – जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) द्वारा अपने – अपने जिले में पालक पोषण देखभाल को लागू करने हेतु कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित है।

फोस्टर केयर के लिए मॉडल दिशानिर्देश, 2016

पालक देखभाल के लिए मॉडल दिशानिर्देशक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा फोस्टर केयर के प्रक्रिया के विषय पर अतिरिक्त मार्गदर्शन प्रदान करते है।

किन बच्चों को फॉस्टर केयर में रखा जा सकता है ?

(1) 6–8 वर्षों के बीच के बच्चे जिन्हें कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने के 2 साल के भीतर नहीं अपनाया जाता है।

(2) 8–18 वर्षों के बीच के बच्चे जो कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने के 1 वर्ष के भीतर नहीं अपनाए जाते हैं।

(3) किसी भी उम्र के विशेष जरूरतों वाले बच्चे जिन्हें 1 वर्ष के भीतर नहीं अपनाया जाता है।

(4) समुदाय में रहने वाले बच्चे जहां डीसीपीयू का मानना है कि इन बच्चो को पालक देखभाल में होना चाहिए।

(5) 6–18 वर्षों के बीच के बच्चे जो बाल देखभाल संस्थानों में रहते हैं और जिन्हें कानूनी रूप से मुक्त घोषित नहीं किया गया हो।

(6) जिनके माता–पिता गम्भीर बीमारी से ग्रसित हों और अपने बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ हैं |

(7) जिनके माता–पिता मानसिक रूप से बीमार हैं और अपने बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ हैं |

(8) जिस बच्चे के एक या दोनों माता–पिता जेल में हों |

(9) जो शारीरिक, भावनात्मक या यौन दुर्व्यवहार, प्राकृतिक/मानव–निर्मित आपदाओं और घरेलू हिंसा के शिकार हैं |

पालक माता पिता बनाने की पात्रता क्या है ?

सभी प्रकार के लोग पालक माता–पिता बन सकते हैं, जैसे – विवाहित लोग, युवा लोगों वाला परिवार, सेवानिवृत्त दम्पत्ति, निःसंतान दम्पत्ति, ऐसा कोई परिवार जिसमें बच्चे बड़े और सक्षम हो गए हैं |

बिहार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम 23 में कहा गया है कि राज्य सरकार बच्चों की देख रेख के लिए उन्हें फॉस्टर केयर में रख सकती हैं। बच्चे बाल कल्याण समिति के आदेश के माध्यम से कम या लंबे अविधि के लिए रखे जा सकते हैं।

नियम 23(12) के अनुसार जिला बाल संरक्षण इकाई, पालक परिवार का चयन करते समय निम्नलिखित पर विचार करेगी :

(i) पालक माता – पिता भारतीय नागरिक होने चाहिए

(ii) पोषक माता–पिता की आयु पैतीस वर्ष से अधिक होनी चाहिए

(iii) पोषक माता–पिता का शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ उत्तम होना चाहिए

(iv) आम तौर पर पोषक माता–पिता की आमदनी इतनी होनी चाहिए की वे बालक की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हों

(v) पोषक परिवार के परिसर में रह रहे उस परिवार के सभी सदस्यों की मेडिकल जाँच होनी चाहिए, (जिनमें एचआईवी, टीबी और हेपेटाइटिस बी इत्यादि शामिल हैं) ताकि यह निश्चित किया जा सके की वे चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ हैं और

(vi) पोषक परिवार के पास पर्याप्त स्थान और आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए।

पालक देखरेख (फॉस्टर केयर) की प्रक्रिया

पालक देखभाल के लिए प्रक्रिया

आवेदन

डी.सी.पी.यू. पीएँफसी को आवेदन पत्र प्रदान करता है

प्रारम्भिक पूछताछ

- डीसीपीयू/एसीएसी फोन पर पीएफसी को फॉस्टर केयर के बारे में जानकारी देते हैं
- उनकी रूचि के आधार पर प्रारंभिक पूछताछ फॉर्म दिया जाता है

प्रक्रिया जारी रहती है

- पीएफसी अभी भी रुचि रखते हैं
- डीसीपीयू / एसीएसी यह निर्णय लेते हैं कि वह परिवार उपयुक्त है

प्रक्रिया समाप्त हो जाती हैं

- पीएफसी अब इस प्रक्रिया में रुचि नहीं रखते हैं
- डीसीपीयू या सीबीएसई निर्णय लेता है कि वह उपयुक्त परिवार नहीं है

होम स्टडी की प्रक्रिया

- डीसीपीयू/एसीएसी प्रारंभिक पूछताछ फॉर्म के आधार पर होम स्टडी की प्रक्रिया आरंभ करते हैं
- एक संयुक्त टीम द्वारा होम स्टडी की जाती है और फॉर्म 30 (भाग–1) भरने के लिए दिया जाता है

प्रक्रिया जारी रहती है

- पीएफसी अभी भी रुचि रखते हैं
- परिवार को भेजा गया फॉर्म 30 (भाग–1) स्व:मूल्यांकन को 2 सप्ताह के भीतर लौटाने का अनुरोध करते हैं
- पीएसी और अन्य वयस्क परिवार के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए जांच और संदर्भो पर सहमति प्राप्त करते हैं
- पीएसी को सेवा पूर्व प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित करते हैं

परिवार का आंकलन

- पूर्ण संतुष्टि के आधार पर परिवार के आंकलन की प्रक्रिया शुरू की जाती है
- पूर्ण संतुष्टि हो जाने पर ही पुलिस जांच और सन्दर्भ की प्रक्रिया शुरू की जाती है
- परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य परिक्षण कराया जाता है

प्रक्रिया जारी रहती है

- डीसीपीयू/सीईएसी ग्रह अध्ययन और मनो–सामाजिक मूल्यांकन का भाग–2 पूरा करता है
  सभी जांच और संदर्भ पूरे किए जाते हैं आवेदक सेवा पूर्व प्रशिक्षण में भाग लेते हैं
- डीसीपीयू, पीएफसी से संबंधित मूल्यांकन दस्तावेजों को अनुमोदन के लिए सी डब्ल्यू सी को सिफारिश करते हैं

प्रक्रिया समाप्त हो जाती है

यदि डीसीपीयू/ एसीएसी नयी जानकारी सामने आने पर पूर्ण संतुष्ठ नहीं होती है और निर्णय लेती है कि वह उपयुक्त परिवार नहीं है

बच्चों का पीएफसी से मिलान

- डीसीपीयू/सीईएसी, संभावित बच्चों की सूची तैयार करता है पीएफसी से प्राप्त आवेदनों से मिलान करता है
- डीसीपीयू/सीईएसी सर्वोत्तम मिलान होने पर सीडब्ल्यूसी को प्लेसमेंट के लिए अनुशंसा करता है

प्लेसमेंट का आदेश

- सीडब्ल्यूसी पूर्ण संतुष्टि के पश्चात् प्लेसमेंट का आदेश देती है
- सीडब्ल्यूसी डीसीपीयू या सीबीएसई को अनुश्रवण और फलों का आदेश देती है

वित्तीय सहायता

- अगर पीएफसी ने आवेदन में वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है तो डीसीपीयू आवेदन को दस्तावेजों के साथ स्पॉन्सरशिप और पोस्टर केयर
  अप्रूवल कमेटी (एस एफ सी ए सी) को अनुमोदन के लिए भेजती है
- एस एफ सी ए सी आवेदन के 75 दिनों के भीतर अनुमोदन पर अपना निर्णय देती है

पालक देखरेख (फॉस्टर केयर) में विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं और ज़िम्मेदारियाँ

हितधारक	भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ
बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी)	1. डीसीपीयू के द्वारा बच्चे का अध्ययन और घर का अध्ययन या तो स्वयं या उनके साथ सूचीबद्ध परामर्शदाताओं के समर्थन के माध्यम से करने का अनुरोध। 2. भावी पालक परिवार की गृह अध्ययन रिपोर्ट का विश्लेषण करना। 3. बच्चे की व्यक्तिगत देखभाल योजना और जैविक माता–पिता की सहमति का आकलन करना। 4. बच्चे की सहमति लेना, अगर वह समझने की क्षमता रखता हैं। 5. डीसीपीयू की रिपोर्ट के अनुसार, पालक माता–पिता के साथ बच्चे के मुलाकात पर विचार करना। 6. बच्चे को पालक देखभाल में रखने का आदेश पारित करना।

हितधारक	भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ
	7. डीसीपीयू की सिफारिशों के अनुसार विस्तार या प्लेसमेंट समाप्त करने का आदेश पारित करना। 8. पालक माता – पिता व बच्चे से समय समय पर मिलना और अन्य सहायता प्रदान करने में सहयोग करना।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी	1. डीसीपीओ फॉस्टर केयर प्रोग्राम के नोडल ऑफिसर है। 2. डीसीपीयू द्वारा निष्पादन किए गए मामलों का आंकलन करना। 3. पीओ–एनआईसी से नियमित रिपोर्ट प्राप्त करना। 4. फॉस्टर केयर प्रोग्राम के तहत निर्धारित जैविक माता–पिता या पालक माता–पिता का मार्गदर्शन और सहयोग करना। 5. एसएफसीएसी को त्रैमासिक रिपोर्ट और एससीपीएस को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 6. बच्चे व पालक माता – पिता के सरोकारों को समझना और उनका निवारण प्रदान करना। 7. बच्चे व परिवार को विभिन्न योजनाओं से जोड़ना।

हितधारक	भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ
	8. पुलिस जांच के लिए पत्र लिखना 9. मेडिकल जांच के लिए सीएमओ को पत्र लिखना 10. डीएम को इस योजना के बारे में अवगत कराना 11. फॉस्टर केयर पर जागरूकता करना 12. बच्चे की सुरक्षा व विकास के लिए परिवार को सहयोग करना 13. पालक बच्चे के साथ किसी भी समस्या के मामले में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करना 14. मीडिया के साथ व्यवहार करते समय अत्यंत सावधानी बरतना
जिला बाल संरक्षण इकाई	1. उन गैर–सरकारी संगठनों या सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक पैनल रखना जो पालन पोषण देख रेख (फॉस्टर केयर) में रुचि रखते हैं या पालक देखभाल पर काम कर रहे हैं। 2. जिले में हितधारकों की क्षमता बढ़ाने के लिए नियमित प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) करना। 3. डीसीपीयू सीसीआई और एसएसए के लिए संपर्क बिंदु के रूप में काम करना 4. पालक देखभालकर्ताओं की सुविधाओं का एक अलगरौसटेर बनाना। 5. जब तक बच्चा 18 वर्ष का नहीं हो जाता, तब तक सभी प्लेसमेंट का एक विस्तृत डेटाबेस बनाना और उसे कायम रखना 6. यह सुनिश्चित करना कि 18 वर्ष की आयु में बच्चे के नाम पर संयुक्त बैंक खाता स्थानांतरित किया जाए 7. जांच और हस्तक्षेप के माध्यम से पालक देखभाल से संबंधित मुद्दों को हल करना।

हितधारक	भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ
संरक्षण अधिकारी गैर–संस्थागत देखभाल (पीओ–एनआईसी)	1. पालक देखभाल के लिए मामले पर काम करना। 2. परिवारों का गृह अध्ययन करना और रिपोर्ट तैयार करना। 3. बच्चे की जरूरतों के अनुसार बच्चे का पालक परिवारों से मेल करना। 4. यदि बच्चे के माता–पिता जेल में हैं तो बच्चे को पालक परिवार में रखने के लिए माता–पिता की सहमति लेना। 5. पालक देखभाल के लिए गंभीर बीमार माता–पिता के बच्चों के लिए अनुमोदन की सुविधा प्रदान करना। 6. उन बच्चों की एक संयुक्त सूची तैयार करना जो सीसीआई और समुदाय में हैं, जिन्हें पालक देखभाल में रखा जा सकता है। 7. हर महीने एसएफसीएसी के सामने फॉस्टर केयर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन देना। 8. बच्चे व पालक परिवार को बढ़ावा देने, नियुक्ति से पहले, नियुक्ति के दौरान और नियुक्ति के बाद सहित सभी सहायता सुनिश्चित करना। 9. 18 वर्ष की आयु तक प्लेसमेंट और देखभाल व्यवस्था की निगरानी करना।

हितधारक	भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ
	10. बच्चे और उसके जैविक माता–पिता के बीच संपर्क सुनिश्चित करना । 11. पालक देखभाल कार्यक्रम की नियमित निगरानी करना।
संरक्षण अधिकारी–संस्थागत देखभाल (पीओ–आईसी)	1. बच्चों की देखभाल के लिए आवश्यक संस्थानों से बच्चों की पहचान करना। 2. बच्चे के सर्वोत्तम हित में पीओ–एनआईसी के साथ काम करना। 3. उन बच्चों को चिन्हित करना जो सीसीआई में हैं और पालक देखभाल की आवश्यकता है। 4. राज्य सरकार द्वारा स्थापित पोर्टल पर सभी संस्थागत देखभाल कार्यक्रम के बाल ट्रैकिंग प्रणाली का प्रबंधन करना।
प्रायोजन और पालक देखभाल अनुमोदन समिति (एस एफ सी ए सी)	**राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक 'प्रायोजन और पालक देखभाल अनुमोदन समिति'** का गठन किया जा सकता है जिसकी कार्यान्वन प्रणाली इस प्रकार होगी – 1. समिति की मासिक बैठक की जाएगी

हितधारक	भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ
	2. फॉस्टर केयर हेतु प्रायोजन और पालक देखभाल निधि की समीक्षा और अनुमोदन करना व इससे सम्बंधित अन्य क्रियाकलापों की समीक्षा करना। 3. डीसीपीयू या समिति द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक रिपोर्टों व अन्य औपचारिकताओं की गहन समीक्षा करना। 4. पालक देखभाल परिवारों को बढ़ावा देने के लिए मासिक वित्तीय सहायता के लिए मामलों पर विचार और अनुमोदन करना। 5. प्रत्येक मामला कुछ अपवाद मामलों को छोड़ कर सभी मामलों को 75 दिनों के भीतर निपटाना अनिवार्य होगा
बाल देखभाल संस्थान (बाल गृह व विशेष दत्तक गृहण एजेंसी)	1. बाल देखभाल संस्थानों में ऐसे बहुत से परिवार आते हैं जो बच्चो को गोद लेने के इच्छुक होते हैं परंतु लम्बी प्रक्रिया या योग्यता ना होने के कारण वह बच्चा गोद नहीं ले पाते ऐसी स्थिति में बाल देखभाल संस्थान ऐसे परिवारों को फॉस्टर केयर की जानकारी देकर जिला बाल संरक्षण इकाई / सीईएसी के प्रतिनिधियों से भेंट करवा सकते है

हितधारक	भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ
	2. सीईएसी व पीओ–एनआईसी को उन बच्चों के बारे में जानकारी दे सकते है, जो संस्थान में भर्ती है व पालक देखभाल हेतु पात्र है। 3. सभी बाल देखभाल एवं सुरक्षा संस्थानों मे दीवारों पर फॉस्टर केयर से सम्बंधित पेंटिंग करा कर योजना के प्रचार प्रसार का कार्य किया जा सकता है 4. पालक देखभाल हेतु इच्छुक परिवारों की पहचान हेतु सीईएसी की हर सम्भव सहायता करना। 5. पालक देखभाल हेतु इच्छुक परिवारों के मूल्यांकन की समस्त प्रक्रिया हेतु सीईएसी की हरसंभव सहायता करना। 6. बाल कल्याण समिति के समक्ष नए मामले की प्रस्तुति में सहायता करना। 7. विशेष दत्तक गृहण एजेंसी की संभावित पालक माता पिता की सूची सीईएसी से साझा करना।
विशेष किशोर पुलिस इकाई	1. घर से भागे हुए, लापता व बच्चे की मृत्यु इत्यादि मामलों का निपटारा करना । 2. इच्छुक पालक देखभाल परिवारों का आपराधिक इतिहास न होने की पुष्टि व अन्य पुलिस सत्यापन व प्रक्रियाओं का करना।

हितधारक	भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ
	3. इच्छुक पालक देखभाल परिवारों की आपराधिक प्रवृति की शिकायत प्राप्त होने पर उनका साक्षात्कार करना। 4. बीट अधिकारी द्वारा समय समय पर परिवार में स्थापन बच्चे के पश्चात भ्रमण किया जाना।
जिला अस्पताल	1. चिन्हित परिवारों की मेडिकल जांच कर रिपोर्ट प्रदान करना ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि परिवार चिकित्सीय रूप से स्वस्थ है। (जाँच: एचआइवी, टीबी और हेपेटाइटिस बी)
बिहार महादलित विकास मिशन	1. प्रखंड स्तर पर विकास मित्र द्वारा पालन पोषण देखरेख योजना का प्रचार प्रसार करना। 2. प्रखंड स्तर पर पालन पोषण हेतु इच्छुक परिवारों की पहचान करना। 3. विकास मित्र का इच्छुक परिवारों की पहचान करने में सीईएसी का परस्पर सहयोगी बनना। 4. कोई अन्य कार्य, जिससे सीईएसी की कार्यकुशलता में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता हो।

हितधारक	भूमिका और ज़िम्मेदारियां
पंचायती राज संस्थान	1. मासिक अवधि पर पालन पोषण देखरेख योजना के बारे में प्रचार प्रसार करना। 2. पालन पोषण हेतु इच्छुक परिवारों की पहचान करना। 3. सीईएसी कर्मचारियों को बैठकों में शामिल होने व अन्य प्रचार प्रसार हेतु अनुमति प्रदान करना।
सामाजिक संस्थान	जिले मे फॉस्टर केयर को सफल बनाने में सामाजिक संस्थाओ का एक महत्वपूर्ण योगदान है। खासकर ऐसी संस्थाएं जो बच्चों के मुद्दों पर समुदाय के बीच में काम कर रही हैं कई प्रकार से जिले मे फोस्टर केयर को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं जैसे कि – 1. जिला बाल संगरक्षण इकाई / सीईएसी के सहयोगी बन कर लोगों के बीच फॉस्टर केयर का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना। 2. जिला बाल संरक्षण इकाई / सीईएसी को ऐसे परिवार ढूंढने मे मदद करना जो की बच्चों को फॉस्टर करने मे रूचि रखते हों। 3. जिला बाल संरक्षण इकाई / सीईएसी प्रतिनिधियों को परिवारों के मूल्यांकन में मदद प्रदान करना।

हितधारक	भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ
	4. जिला बाल संरक्षण इकाई / सीईएसी प्रतिनिधियों को अपनी सामुदायिक बैठक का हिस्सा बनाना ताकि वह फॉस्टर केयर के बारे मे लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सके।
समेकित बाल विकास योजना	जैसे की सब जानते है की समेकित बाल विकास योजना के तहत 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान कराया जाता है। इस योजना के तहत आंगनवाड़ी सेविका तथा आशा सेविका समुदाय में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। आंगनवाड़ी सेविका तथा आशा कार्यकर्ता जो अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ता है समुदाय आधारित कार्यों में कुछ इस प्रकार से मददगार साबित हो सकते है – 1. समुदायों को फॉस्टर केयर के बारे में जागरूक करना 2. जिला बाल संरक्षण इकाई / सीईएसी प्रतिनिधियों को अपनी सामुदायिक मीटिंग का हिस्सा बनाना, ताकि वह फॉस्टर केयर के बारे मे लोगो को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सके।

हितधारक	भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ
	3. जिला बाल संरक्षण इकाई / सीईएसी को ऐसे परिवार ढूंढने मे मदद करे जो की बच्चों को फॉस्टर करने मे रूचि दिखाते हो। जिला बाल संरक्षण इकाई / सीईएसी प्रतिनिधियों को परिवारों के मूल्यांकन में मदद प्रदान करे।
पालक माता–पिता	1. बच्चे के शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भोजन, कपड़े, आश्रय, शिक्षा, देखभाल और उपचार प्रदान करना। 2. यदि बच्चे को चिकित्सा उपचार की जरूरत हो, तो नजदीकी अस्पताल में उचित चिकित्सा उपलब्ध करवाना और फिटनेस प्रमाणपत्र सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत करना। 3. शोषण, दुर्व्यवहार, नुकसान, उपेक्षा और दुरुपयोग से सुरक्षा सुनिश्चित करना। 4. यह सुनिश्चित करना कि बच्चे को उसके उम्र–उपयुक्त मनोरंजन गतिविधियां प्रदान की जाएं। 5. बच्चे और उसके जैविक परिवार या अभिभावक की निजता का सम्मान करना और माता–पिता की पूर्व सहमति के बिना किसी को भी गोपनीय जानकारी का खुलासा नहीं किया जाना।

हितधारक	भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ
	6. सीडब्ल्यूसी से परामर्श करने के बाद और यदि यह बच्चे के सर्वोत्तम हित में है, तो बच्चे और जैविक माता–पिता के बीच संपर्क सुनिश्चित करना। 7. बच्चे की प्रगति को सीडब्ल्यूसी और जैविक माता–पिता के साथ साझा करना। 8. आवश्यकता अनुसार बच्चे को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत करना। 9. सीडब्ल्यूसी और जैविक माता–पिता को बच्चे के आवासन की जानकारी सुनिश्चित करना जैसे पता बदलना, छुट्टी पर जाना या बच्चे का भागना आदि।
पुलिस की मीडिया के प्रति भूमिका	1. पुलिस किसी भी जांच या लंबित प्रक्रिया के बारे में बच्चे के किसी भी रिकॉर्ड का खुलासा नहीं करेगी। 2. पुलिस ऐसी किसी भी सूचना जैसे बच्चे का नाम, पता, स्कूल, माता–पिता का नाम, जो बच्चे या पालक परिवार या जैविक परिवार की पहचान का कारण बन सकता है, का खुलासा नहीं करेगी।

पालनपोषण देख रेख (फॉस्टर केयर) और दत्तक ग्रहण (एडॉप्शन) के बीच अंतर	
पालनपोषणदेखरेख (फॉस्टरकेयर)	**दत्तकग्रहण (एडॉप्शन)**
यह अस्थायी है और 18 वर्ष की आयु तक सीमित है।	यह स्थायी (परमानेंट) है।
पालक माता–पिता एक बच्चे के अभिभावक हैं और बाल कल्याण समिति से परामर्श के बिना शैक्षिक, धार्मिक और गंभीर चिकित्सा संबंधी निर्णय नहीं ले सकते। सीडब्ल्यूसी और डीसीपीयू बच्चे के प्लेसमेंट की निगरानी करते हैं।	गोद लेने के बाद दत्तक माता–पिता को बच्चे के संबंध में सभी निर्णय लेने का पूर्ण कानूनी अधिकार है।
पालक बच्चे पालक माता–पिता से कुछ भी विरासत में नहीं लेते हैं और संपत्ति, उपनाम आदि के लिए कानूनी अधिकार नहीं रखते हैं।	गोद लिए गए बच्चों के पास संपत्ति, उपनाम आदि सहित जैविक बच्चे के समान कानून के अनुसार विरासत का अधिकार है।

संपर्क विवरण (समस्त सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बिहार)

क्रम सं.	जिला	ई . मेल	संपर्क सूत्र
1.	अररिया	adcpuararia@gmail.com	6206008978
2.	अरवल	adcpuarwal@gmail.com	8726921813
3.	औरंगाबाद	adcp.aurangabad@gmail.com	7461817660
4.	बाँका	adcpbanka@gmail.com	9431005052
5.	बेगूसराय	dcpubeg@gmail.com	6204534634
6.	भागलपुर	adcpubgp@gmail.com	8210811171
7.	भोजपुर	dcpuarrah@gmail.com	9334058769
8.	बक्सर	adcpubuxar@gmail.com	7783801954
9.	दरभंगा	adcpudarbhanga@gmail.com	6272245025
10.	पूर्व चंपारण	adcpmoti.a@gmail.com	7543033154 9525406670

संपर्क विवरण (समस्त सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बिहार)

क्रम सं.	जिला	ई . मेल	संपर्क सूत्र
11.	गया	adcpu-gaya.bih@gov.in	8084909507
12.	गोपालगंज	dcpsgopalganj@gmail.com	8447491682
13.	जमुई	adcpjamui@gmail.com	8603749596
14.	जहानाबाद	adcp01jehanabad@gmail.com	6204724275
15.	कैमूर	adcpukaimur@gmail.com	8709105850
16.	कटिहार	adcpkatihar@gmail.com	8406801081
17.	खगड़िया	adcpkhagaria@gmail.com	9162422276
18.	किशनगंज	adcpukishanganj@gmail.com	6272245025
19.	लखीसराय		7291916054
20.	मधेपुरा		9065382311

संपर्क विवरण (समस्त सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बिहार)

क्रम सं.	जिला	ई . मेल	संपर्क सूत्र
21.	मधुबनी	dcpumdb@yahoo.co.in	9432496926
22.	मुंगेर	adcpumunger@yahoo.com	8800190702
23.	मुजफ्फरपुर	adcpumuzaffarpur@gmail.com	9650586762
24.	नालंदा	adcpunalanda1@gmail.com	9304536541
25.	नवादा	dcpunwd@gmail.com	7003231807
26.	पटना	adcpupatna@gmail.com	7250438107 9113167218
27.	पूर्णियाँ	adcpurnea@gmail.com	7979719533
28.	रोहतास	dcpurohtas@gmail.com	9525358198
29.	सहरसा	adcpsaharsa@gmail.com	9431005043
30.	समस्तीपुर	adcpsamastipur@gmail.com	6200693248

संपर्क विवरण (समस्त सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बिहार)

क्रम सं.	जिला	ई . मेल	संपर्क सूत्र
31.	सारण	dcpuchapra@gmail.com	8651926296
32.	शेखपुरा	dcpusheikhpura2014@gmail.com	9060392518
33.	श्योहर	adcpusheohar.bih@gmail.com	7004612856
34.	सीतामढ़ी	adcpu.sit@gmail.com	7050077444
35.	सीवान	adcpsiwan@gmail.com	8088203142
36.	सुपौल	adcpu.supaul@gmail.com	9431005044 6473223202 (एल.पी.ओ)
37.	वैशाली	dcpuvslhajipur@gmail.com	9162012919
38.	पश्चिम चंपारण	addcpubettiah2014@gmail.com	9835657900

कुछ अन्य महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र

क्रम संख्या	संस्थान / नाम	ईमेल	संपर्क संख्या
1	फॉस्टर केयर टॉल फ्री नंबर		1800-111-878
2	चाइल्ड लाइन		1098
3	प्रदीप कुमार : गया	ceac.gaya@alternativecareindia.org	8294303011
4	मो० फैजान आलम : अररिया	ceac.araria@alternativecareindia.org	892305963
5	अल्ताफ अहमद सिद्दीकी : पूर्णिया	ceac.purnia@alternativecareindia.org	9651135135
6	रंजीत कुमार : मुजफ्फरपुर	ceac.muzaffarpur@alternativecareindia.org	8826009687
7	दिल्ली	ceac@alternativecafeindia.org	011-21820058